

प्रेषक,

शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
झांसी।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 11 मार्च, 2025

विषय:- जनपद झांसी में एमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर के सुदृढीकरण हेतु विभिन्न उपकरणों के क्रय तथा अवस्थापना सम्बन्धी अन्य विविध व्यय हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-464/मु0रा0आ0-03(13)/दै0आ0/2024-25, दिनांक 21.10.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनपद झांसी में स्थापित एमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर के सुदृढीकरण हेतु विभिन्न उपकरणों के क्रय तथा अवस्थापना सम्बन्धी अन्य विविध व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य आपदा मोचक निधि से ₹0 8,64,000/- की धनराशि आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद झांसी में स्थापित एमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर के सुदृढीकरण हेतु विभिन्न उपकरणों के क्रय तथा अवस्थापना सम्बन्धी अन्य विविध व्यय हेतु राज्य आपदा मोचक निधि की प्रपेयर्डनेस एवं कैपेसिटी विल्डिंग मद से ₹0 8,64,000/- की धनराशि निम्नलिखित विवरण एवं शर्तों के अधीन जिलाधिकारी, झांसी के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबंध-

- (1) राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि का उपयोग गृह मंत्रालय (आपदा प्रबन्धन प्रभाग), भारत सरकार के पत्र संख्या-33-02/2020-NDMA-1, दिनांक 22.04.2022 द्वारा निर्गत गाइडलाइन के अनुसार किया जायेगा। जिलाधिकारी, झांसी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गाइडलाइन के किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन न होने पाये।
- (2) राज्य आपदा मोचक निधि के क्षमता निर्माण मद से स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।
- (3) जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा, किसी अन्य मद में धनराशि का डायवर्जन नहीं किया जायेगा।
- (4) क्षमता निर्माण मद से निर्गत की जा रही धनराशि का उपयोग मानदेय/वेतन/ईधन/मरम्मत/अनुरक्षण में नहीं किया जायेगा।
- (5) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2025 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2025 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

(8) राज्य आपदा मोचक निधि के सबध में समय-समय पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं एनडीएमए द्वारा जो भी दिशा-निर्देश/गाइडलाइन निर्गत किये गये हैं अथवा किये जायेंगे के अनुसार उक्त धनराशि का उपभोग की कार्यवाही समयबद्धरूप से सुनिश्चित की जायेगी।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय ₹0 8,64,000/- (₹0 आठ लाख चौसठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245-05-800-0611 स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय-मानक मद-42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/वी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

Signed by ^{भवदीय,}
Shailendra Mani Tripathi
Date: 11-03-2025 15:27:02
(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

संख्या-210(1)/एक-10-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० प्रयागराज।
- 2- राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
- 3- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
- 4- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यू०पी०एस०डी०एम०ए०।
- 5- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।
- 6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०।
- 7- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- 8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2024-2025
आवंटन दिनांक-18/03/2025

प्रेषण संख्या:- 210
आवंटन आदेश संख्या:- 002-210
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	झाँसी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान	864000	864000
		प्रगामी	864000	864000
	योग	वर्तमान	864000	864000
		प्रगामी	864000	864000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया आठ लाख चौसठ हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया आठ लाख चौसठ हजार


(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उत्तर प्रदेश।